# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व **अपील संख्या 659/2025**

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| 1. अरूणा पत्नी स्व0 संतोक सिंह परिहार, जाति माली, निवासी रामसागर, मगरा पुंजला, जोधपुर<br>2. शेरसिंह परिहार पुत्र स्व0 मांगीलाल परिहार, जाति माली, निवासी रामसागर, मगरा पूंजला, जोधपुर<br>3. सुनिल परिहार पुत्र स्व0 संतोक सिंह परिहार, जाति माली निवासी रामसागर, मगरा पुंजला, जोधपुर | | 1. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर<br>2. उगमसिंह पुत्र सांवलसिंह परिहार, जाति माली, निवासी बेरा रामसागर, मगरा पुंजला, जोधपुर<br>3. सीताराम पुत्र हेमजी उर्फ हेमसिंह जाति माली, निवासी बेरा रामसागर, मगरा पुंजला, जोधपुर<br>4. जयसिंह पुत्र हेमजी उर्फ हेमसिंह जाति माली, निवासी बेरा रामसागर, मगरा पुंजला, जोधपुर |

अपील अन्तर्गत धारा 90ए (9) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपायुक्त जोन–06, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर आदेश दिनांक 01.10.2023 मामला संख्या गार्ड पत्रावली वर्ष 2023

उपस्थित–

1. श्री ओ0पी0 बूब वकील अपीलांट
2. श्री दीपसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1
3. श्री माधवराज चौधरी, रेस्पो0सं0 2 से 4

## निर्णय

दिनांक 6.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए(9) के अन्तर्गत अपीलांट ने उपायुक्त जोन–06, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा तहसील जोधपुर स्थित, ग्राम पूंजला के खसरा नम्बर 10 से 16, 17 का हिस्सा, 25 का हिस्सा, 26 से 30 क्षेत्र 32 बीघा 5 बिस्वा का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा देने के लिए स्व0 प्रेरणा से कार्यवाही करते हुए मामला संख्या गार्ड पत्रावली और वर्ष 2023 में पारित दिनांक 01.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपायुक्त जोन–6, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में शिविरों का आयोजन हेतु तहसील जोधपुर स्थित राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 10 से 16, 17 का हिस्सा, 25 का हिस्सा, 26 से 30 पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु लोक सूचना जारी की जाकर, विधि रिपोर्ट प्राप्त कर जोन स्तरीय गठित समिति की बैठक कार्यवाही विवरण कमांक 1491 दिनांक 25.09.2023 के एजेण्डा संख्या 04 अनुसार उल्लेखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन का निर्णय लिया गया। प्रकरण में स्व. प्रेरणा आवेदक–राजस्व जमाबंदी में दर्ज खातेदार व अन्य में उपरोक्त खसरान क्षेत्र 32 बीघा 05 बिस्वा भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत मामला संख्या गार्ड पत्रावली और वर्ष 2023, में आदेश दिनांक 01.10.2023 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए (9) के तहत यह अपील न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो आदेशिका दिनांक 04.08.2025 के अनुसार स्थानांतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से नये नम्बर पर दर्ज कर उक्त अपील प्रकरण में सुनवाई की गई।

3. अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके जवाब में रेस्पो0सं0 2 से 4 के योग्य अधिवक्ता द्वारा जबाव अनुमति प्रार्थना एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किए गये। न्यायहित में अपीलांट्स के उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की अपील एवं अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कि अपीलांट्स ग्राम पूंजला, तहसील जोधपुर के स्थाई निवासी है एवं वादग्रस्त खसरा नम्बर 10 से 16, 17 का हिस्सा, 25 का हिस्सा एवं 26 से 30 की भूमि के सह–खातेदार है। इस भूमि के लिए अपीलांट के हित निहीत है एवं कब्जाधारी है।

5. ग्राम पूंजला के खेत ख0नं0 17, 18, 27 एवं 28 की भूमि के लिए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष अंतर्गत धारा 89, 91, 92, 183 व 188 के तहत राजस्व मूल वाद संख्या 167/79 प्रस्तुत किया गया था। जो अन्यत्र न्यायालय में ट्रांसफर होकर अन्य नम्बर पद दर्ज होकर दिनांक 06.11.1979 को वादी रामा के पक्ष में डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 37/80 में पारित निर्णय 24.11.1980 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.1979 निरस्त कर दिया गया।

6. राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 21.11.1980 के विरूद्ध रामा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 03/1981 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.1987 द्वारा उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। जिसकी उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.06.2000 के आधार पर उक्त वाद निर्णित कर दिया गया।

7. दिनांक 08.06.2000 को तथाकथित राजीनामे के जरिये निर्णित वाद के विरूद्ध रामाराम ने राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2011 द्वारा अपील स्वीकार कर, प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। उक्त मूल राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष आज भी विचाराधीन है।

8. इस बीच दिनांक 08.06.2000 को जरिये कूटरचित राजीनामें से निर्णित वाद के निर्णयानुसार वादी रामा वगैराह ने राजस्व अभिलेखों में गलत एवं कूटरचित डिक्री के आधार पर नाम अंकित करवा दिये गये थे। जिसके लिए अपीलांट ने डिक्री दिनांक 08.06.2000 के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों को राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 20.04.2011 के अनुसार पूर्व की स्थिति, जो दिनांक 08.06.2000 से पहले की थी, उसे यथावत रखने के लिए धारा 144 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर फास्ट ट्रेक के यहा आज भी विचाराधीन है। साथ ही इस प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा कूटरचित डिक्री एवं निर्णय के आधार पर जो नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गये थे, उसे स्थगित करने की इस्तदुआ पर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा विवादग्रस्त भूमि बाबत मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2012 पारित किया गया, जो आज भी प्रभावी एवं विचाराधीन है।

9. रेस्पो0 को इस बात की भलीभांति जानकारी रही है कि विवादग्रस्त ख0नं0 17, 18, 27 एवं 28 की भूमि के लिए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष वाद विचाराधीन है एवं इस बात की भी जानकारी रही है कि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा कूटरचित राजीनामा दिनांक 08.06.2000 के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री को राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपील संख्या 03/2011 बअनवान रामाराम बनाम प्रभुराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2011 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि बाबत राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है, जिसे किसी न्यायालय में चुन्नौति नही दी गई है।

10. इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि के लिए, भूमि रूपांतरण का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें निहीत खातेदारी अधिकारों अर्थात जिन व्यक्तियों को खातेदार के रूप में दर्शाया हुआ है, वह लोग गलत रूप से अंकित किए हुए है एवं भूमि में हिस्सा भी गलत अंकित किया हुआ है। जिनको इस भूमि में उपरोक्त वाद के विचाराधीन रहते किसी भी प्रकार से भूमि रूपांतरण का अपीलाधीन निर्णय प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नही था। अपीलाधीन आदेश गलत एवं कूट रचित दस्तावेजों के तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया हुआ होने से निरस्त योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही स्वतः ही अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

01.10.2023 को निरस्त करने एवं इस आदेश के आधार पर रेस्पो0 द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है, उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया।

11. वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर 2004(1) सिविल कोर्ट केसेज 90 (इलाहबाद) पेज नं. 90 से 95 एवं 1983(3) सिविल कोर्ट केसेज 17 (आन्ध्रा प्रदेश) पेज नं. 17 से 23 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

12. जवाब में रेस्पो0सं0 2 से 4 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्रों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि :–

13. अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 ग्राम पूंजला तहसील एवं जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 10 से 16, ख0नं0 17 आंशिक, ख0नं0 25 आंशिक एवं ख0नं0 26 से 30 की कुल रकबा भूमि 32 बीघा 05 बिस्वा के संबंध में पारित किया गया है। जिस भूमि में स्वीकृत रूप से अपीलार्थीगण सह–खातेदार नही होने से उनका किसी भी प्रकार का कोई विधिक हक, अधिकार निहित अथवा प्रभावित नही है। इस कारण अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की वैद्यता को चुन्नौति प्रदान करने हेतु अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान का विधिक हक अधिकार नही है।

14. अपीलार्थीगण ने उक्त अपील जानबूझ कर प्रत्यर्थीगण को परेशान करने हेतु वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत की गई है। ग्राम पूंजला के विवादग्रस्त ख0नं0 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुल खसरे 16 एवं कुल रकबा 56 बीघा 02 बिस्वा भूमि जोधपुर रियासत के द्वारा जारी बापी पट्टा दिनांक 12.07.1926 के अनुसार रणछोड़ बेटा सादुल व छेला बेटा भोलु के नाम से 1/4 हिस्सा, रामा बेटा चतरा व पुरखो बेटा धूडा के नाम से 1/4 हिस्सा, धूडा ने शिवलाल वगैरा का 1/4 हिस्सा एवं कुनो बेटा जोरा के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज थी। इसी अनुरूप सभी काश्तकार उक्त भूमि में भौतिक एवं वास्तविक रूप से काबिज चल आ रहे थे। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से इसी अनुसार सभी खातेदारों के नाम जमाबंदी में दर्ज हो गये। इसके अनुसार अपीलार्थीगण के पूर्व पुरूष रामा पुत्र चतरा का पुरखा पुत्र धूडा के साथ संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित था। उसके अनुसार रामा पुत्र

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

चतुरा का 1/8 हिस्सा निहित था, जिसके अनुसार रामा पुत्र चतरा के हिस्से में कुल रकबा 07 बीघा 05 बिस्वांशी भूमि आती है एवं इसी अनुसार रामा पुत्र चतरा का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज था।

15. रामा पुत्र चतरा ने दिनांक 13.06.79 को उप जिलाधीश जोधपुर के समक्ष प्रतिवादीगण काना वगैरा के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 89, 91, 92–ए, 183 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद के पद संख्या 1 में यह अभिकथित किया कि ख0नं0 17 रकबा 8.10 बीघा भूमि में वादी के कदीमी कब्जें में 4 बीघा भूमि एवं ख0नं0 18 रकबा 3.10 बीघा भूमि व ख0नं0 27 रकबा 3.07 बीघा और ख0नं0 28 रकबा 02.11 बीघा भूमि के कुल रकबा 13.15 बीघा भूमि वादी की खुदकाश्त खातेदारी का कदीमी काश्त कब्जासुदा है।

16. वादी रामा पुत्र चतुरा द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद संख्या 167/1979 को उप जिलाधीश जोधपुर ने जरिये राजीनामा दिनांक 06.11.1979 को डिक्री कर दिया गया। जिस डिक्री दिनांक 06.11.1979 के अनुसार ग्राम पुंजला के ख0नं0 17, 18 एवं 27 की कुल 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी रामा एवं ख0सं0 28 की रकबा 2 बीधा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी काना पुत्र पुरखा के नाम घोषित की गई।

17. उक्त राजस्व वाद सं0 167/1979 रामा बनाम काना में पारित डिक्री दिनांक 06.11.1979 के विरूद्ध कानसिंह (काना) पुत्र पुरखा ने राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 37/1980 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.1980 द्वारा अपील स्वीकार कर उप जिलाधीश जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.1979 को अपास्त कर, प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि वादी–रेस्पो0सं0 1–रामा को बाध्य किया जावे कि यदि वह राजीनामा के आधार पर वाद का निर्णय चाहता है, तो लिखित राजीनामा, जिस पर पक्षकारों के हस्ताक्षर किये हो, पेश करे एवं लिखित राजीनामा पेश नही होने पर, प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने का अवसर देने के पश्चात तनकीयात कायम की जाकर कानूनन वाद का निस्तारण करे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

18. राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.1980 के विरूद्ध रामा ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 03/1984 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.1987 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया।

19. इस बीच विचारण न्यायालय द्वारा पारित राजीनामा डिक्री दिनांक 06.11.1979 की पालना में जरिये नामान्तरकरण दिनांक 16.05.1980 द्वारा ग्राम पुंजला के ख0नं0 18 रकबा 3.15 बीघा, ख0नं0 27 रकबा 3.07 बीघा एवं मूल ख0नं0 17 में से 4.02 बीघा भूमि का नया खसरा बनाकर खसरा नम्बर 17/2 की 4.02 बीघा भूमि सहित कुल रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा भूमि वादी रामा के नाम दर्ज कर दी गई।

20. उक्त डिक्री दिनांक 06.11.1979 के अपास्त हो जाने के उपरांत भी राजस्व रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल नही कर, जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 11.02.1991 के अनुसार विचाराधीन राजस्व वाद के निर्णय के बाद ही आवश्यकता होने पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश की पालना में उक्त अपास्त हुई डिक्री की पालना में खोले गये नामान्तरकरण की प्रविष्टियों को यथावत रखा गया। अर्थात पूर्व की स्थिति बहाल नही की गई।

21. रामा पुत्र चतरा ने अपने नाम से जमाबंदी में दर्ज ख0नं0 27 की रकबा 3.07 बीघा भूमि को अपने जीवनकाल में ही दिनांक 12.05.1995 को प्रभुराम वगैरा 17 व्यक्तियों को वसीयत कर दी गई। दिनांक 14.10.1996 को वादी रामा पुत्र चतरा का देहान्त हो जाने के कारण उक्त वसीयत प्रभाव में आ जाने से उक्त खसरान में रामा पुत्र चतरा के हक अधिकार प्रभुराम वगैरा 17 व्यक्तियों में निहित हो गये। जिस कारण उक्त 17 व्यक्तियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस वाद में पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बने।

22. माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के निर्णय दिनांक 10.03.1987 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रतिप्रेषित वाद जरिये राजीनामा डिक्री दिनांक 08.06.2000 निस्तारित हुआ। जिसमें ग्राम पुंजला के ख0नं0 27 रकबा 3.07 बीघा भूमि का प्रभूराम वगैरा को खातेदार घोषित कर दिया गया तथा ख0नं0 17/2 की रकबा 4.02 बीघा भूमि का जो नया खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बनाया गया। उसको निरस्त कर मूल ख0नं0 17 में वापस मिलाने का आदेश कर दिया गया। ख0नं0 18 की रकबा 3.15 बीघा भूमि जो रामाराम के वारिसान के खाते में है, को उनके खाते में रखा गया।

23. उक्त राजीनामा डिक्री दिनांक 08.06.2000 के विरूद्ध रामा के वारिसान द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत नही कर, इसे सीधे ही धारा 221 आरटी एक्ट के तहत मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में चुनौति दी गई। जिसे मा0 मण्डल के निर्णय दिनांक 20.01.2005 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए खारिज कर दिया गया।

24. मा0 मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 20.01.2005 के विरूद्ध रामा के वारिसान द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एकलपीठ में रिट याचिका दायर की गई। जिसे निर्णय दिनांक 19.05.2005 द्वारा खारिज कर देने के पश्चात मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे भी मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2010 द्वारा रामा के वारिसान को एक माह में राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया गया।

25. तत्पश्चात रामा के वारिसान द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष राजीनामा डिक्री दिनांक 08.06.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2011 द्वारा अपील स्वीकार कर, डिक्री दिनांक 08.06.2000 को अपास्त कर, प्रकरण विचारण न्यायालय को गुणावगुण के आधार विधि अनुरूप एवं न्यायोचित निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा इतने साल बाद अपने हक–अधिकारों के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नही करने से, स्पष्ट है कि अपीलाथी–वादीगण जानबूझ कर उक्त वाद को निस्तारित नही करवाना चाहते है तथा प्रतिवादीगण को उनके खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त भूमि का उपयोग व उपभोग नही करने देने के लिए वाद को वर्षो चलाना चाहते है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

26. अपीलार्थीगण अर्थात रामा के वारिसान द्वारा जरिये राजीनामा डिक्री दिनांक 06.11.1979, जिसे राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर एवं मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.1980 एवं 10.03.1987 द्वारा अपास्त कर दिया था। उस अपास्त हुई डिक्री की पालना में ख0नं0 17 की रकबा 4.02 बीघा, ख0नं0 18 की रकबा 3.15 बीघा भूमि एवं ख0नं0 27 की रकबा 3.07 बीघा भूमि अपने नाम से दर्ज होने के पश्चात ख0नं0 18 की 3.15 बीघा एवं ख0नं0 27 की 3.07 बीघा भूमि को अपने मालिकाना हक अधिकार की होना मानकर आगे से आगे बेचान/हस्तांतरण कर दिया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण ख0नं0 18 एवं 27 की भूमि को अपने उपयोग व उपभोग में ले रहे है तथा प्रत्यर्थीगण को उनकी भूमि विवादित बताकर उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है।

27. अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 में वर्णित ख0नं0 10 से 16, ख0नं0 17 व 25 के भाग एवं ख0नं0 26 से 30 की रकबा भूमि 32 बीघा 05 बिस्वा में अपीलार्थीगण का प्रत्यर्थीगण से वास्तविक विवाद नही है। इस कारण अपीलार्थी– गण द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

28. स्वीकृत रूप से रामा पुत्र चतरा के द्वारा संस्थित वाद में ख0नं0 17 के कुल रकबा 8.11 बीघा में से 4 बीघा, ख0नं0 18 रकबा 3.15 एवं ख0नं0 27 रकबा 03.07 बीघा एवं ख0नं0 28 रकबा 02.11 बीघा भूमि ही उक्त वाद की विषयवस्तु थी। जिनके संबंध में स्वयं रामा के वारिसान द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष दौराने अपील दिनांक 07.03.2011 को एक प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से अभिकथित है कि अपीलार्थीगण के द्वारा वाद ख0नं0 17, 18, 27 एवं 28 के बाबत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें ख0नं0 27 की भूमि को प्रभूराम वगैरा के पक्ष में वसीयत कर दी गई है, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण को कोई एतराज नही है एवं ख0नं0 18 के बाबत रेस्पो0 को कोई एतराज नही था, क्योकि विचारण न्यायालय की डिक्री के द्वारा भी ख0नं0 18 की भूमि अपीलार्थी के पक्ष में रखी गई थी एवं

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0नं0 28 की भूमि के संबंध में भी अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 के मध्य कोई विवाद नही है।

29. इस प्रकार स्वयं अपीलार्थीगण की उक्त स्वीकारोक्ति के द्वारा भी विवाद केवल ख0नं0 17 की रकबा 4 बीघा भूमि के संबंध में ही है एवं स्वीकृत रूप से ख0नं0 17 की सम्पूर्ण भूमि को अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 के द्वारा रूपातंरित नही किया जाकर ख0नं0 17 के केवल आंशिक भाग को ही शामिल किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 के द्वारा अपीलार्थीगण के हक अधिकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नही होते है। इसलिए अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का विधिक हक–अधिकार नही है।

30. इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान के सभी रेकर्डेड खातेदारों को पक्षकार मुकदमा नही करने से उक्त अपील आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से भी खारिज योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

31. ग्राम पुंजला के उपरोक्त वादग्रस्त खसरान की कुल 56.02 बीघा भूमि में से रकबा 1.10 बीघा भूमि आवागमन के लिए सड़क में चली गई। शेष उपलब्ध रकबा 54.12 बीघा भूमि में से रामा के 1/8 वे हिस्से में कुल 6 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि आती है, जबकि रामा एवं उनके वारिसान के द्वारा ख0नं0 18 रकबा 3.15 बीघा एवं ख0नं0 27 रकबा 3.07 बीघा कुल रकबा 7.02 बीघा भूमि पहले ही प्राप्त कर चुके है, जो उनके धारित हक हिस्से से अधिक है। इसमे से ख0नं0 27 की भूमि रामा द्वारा दिनांक 12.05.1995 निष्पादित वसीयत द्वारा प्रभुराम वगैरा को तथा ख0नं0 18 की भूमि को रामा के वारिसान भूखण्डों के रूप में बेचान/हस्तांरण कर रहे है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान की भूमि में रामा अथवा रामा के वारिसान का कोई हक–अधिकार नही है। अतः न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

32. अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान की भूमि में वर्तमान में पक्के आवासीय मकान, दूकानें इत्यादि बने हुए होने से सक्षम प्राधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा स्वप्रेरणा से विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, इन खसरान में अपीलार्थीगण स्वीकृत रूप से खातेदार नही होने के कारण प्रभावित पक्षकार नही होने से उनके हित प्रभावित नही होते है। अतः इस कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

33. सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 53/2012 बअनवान मांगीलाल बनाम उगमसिंह वगैरा में पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2012 द्वारा ख0नं0 17 रकबा 8.10 बीघा में से रकबा 4 बीघा भूमि एवं ख0नं0 18, 27 एवं 28 के लिए रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.04.2012 तक के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था। जो भूमि के संबंध मे पारित नही किया गया तथा आगामी तारीख पेशी तक सिमित था, जिसे आगामी तारीख पेशीयों में नही बढाया गया। जिस पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम स्थगन आदेश में मौके की यथास्थिति हेतु निवेदन किया, लेकिन विचारण न्यायालय ने ऐसा स्थगन आदेश प्रदान नही किया। सिवाय तारीख पेशी 23.03.2021 की आदेशिका द्वारा उक्त स्थगन आदेश को आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.04.2021 तक बढाया गया। उसके पश्चात उक्त अंतरिम स्थगन आदेश को आगे नही बढाया गया। इस कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 पारित करते समय ऐसा कोई स्थगन आदेश कानूनन प्रभावी नही था।

34. रामा द्वारा वर्ष 1979 में संस्थित वाद में ख0नं0 17 की 8.10 बीघा भूमि में से 4 बीघा भूमि एवं ख0नं0 18, 27 व 28 की भूमि के संबंध में स्वयं अपीलार्थीगण द्वारा विवाद शेष नही रहने से अपीलार्थीगण का क्लेम केवल मात्र ख0नं0 17 की 4 बीघा भूमि के लिए ही है एवं जो0वि0प्रा0 द्वारा अपीलाधीन आदेश ख0नं0 17 की सम्पूर्ण भूमि के संबंध में नही किया जाकर ख0नं0 17 की उक्त भूमि के लिए किया गया है, जिसमें रामा एवं उसके वारिसान का क्लेम नही है। अर्थात

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विवादित 4 बीघा भूमि इस आदेश में सम्मिलित नही है। उक्त 4 बीघा भूमि ख0नं0 18 के पश्चिम में स्थित है, जो अनुमोदित क्षेत्र से दूर है। इस कारण अपीलार्थीगण के हित अधिकार प्रभावित नही होने से उन्हें अपीलाधीन आदेश की वैद्यता को चुनौति प्रदान करने का हक नही है।

35. अपीलार्थीगण की अपील में ऐसा कोई आधार अभिकथित नही है, जिससे प्रथम दृष्टया अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान की भूमि के भू–उपयोग को परिवर्तित करना गलत एवं अवैध प्रतीत होता हो।

36. रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण का धारा 05 के प्रार्थना पत्र में यह लिखना गलत है कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 01.05.2025 को हुई, आदेश पारित करते समय उसे सुना नही गया। प्रार्थना पत्र में आदेश की जानकारी के स्रोत का उल्लेख नही है और न ही विलंब का कोई सदभाविक एवं संतोषप्रद कारण दिया गया है। जबकि अपीलार्थीगण के रिश्तेदार पृथ्वीसिंह ने उक्त भूमि में जो0वि0प्रा0 से पट्टे प्राप्त किए है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से दिनांक 21.08.2023 को दैनिक समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन करवाया जाकर आक्षेप आमंत्रित किए गये थे, जिसके बावजूद अपीलार्थीगण अथवा अन्य किसी के द्वारा इस संबंध में कोई आक्षेप प्रस्तुत नही किया गया। आदेश में वर्णित खसरान में अपीलार्थीगण स्वीकृत रूप से खातेदार नही है, इस कारण उसमें उसका हक–अधिकार नही है। अपीलार्थीगण ख0नं0 17 की जिस भूमि को विवादित बता रहे है, वह भूमि अपीलाधीन आदेश में शामिल नही है। रूपातंरण की कार्यवाही स्वप्रेरणा से मौके का सर्वे एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही कर सम्पादित की गई, जो विधि अनुकूल है, जिस पर अपीलार्थीगण का कोई आक्षेप नही है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के द्वारा अनुसमर्थित नही होने के कारण खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

37. रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 के साथ दिनांक 6.4.26 एवं 13.4.26 को उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

38. रेस्पो0 सं0 1 की ओर से उपस्थित विभागीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होना बताते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि उपायुक्त जोन–6, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में शिविरों का आयोजन हेतु तहसील जोधपुर स्थित राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 10 से 16, 17 का हिस्सा, 25 का हिस्सा, 26 से 30 पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु लोक सूचना जारी की जाकर, विधि रिपोर्ट प्राप्त कर जोन स्तरीय गठित समिति की बैठक दिनांक 25.09.2023 के एजेण्डा संख्या 04 अनुसार उल्लेखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन का निर्णय लिया गया। प्रकरण में स्व. प्रेरणा आवेदक–राजस्व जमाबंदी में दर्ज खातेदार व अन्य में उपरोक्त खसरान क्षेत्र 32 बीघा 05 बिस्वा भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत मामला संख्या गार्ड पत्रावली और वर्ष 2023, में आदेश दिनांक 01.10.2023 पारित किया गया। पटवारी रिपोर्ट में उक्त कॉलोनी वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की होने तथा आवेदित भूमि पर मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित होने का उल्लेख है। हस्तगत अपील में अपीलाधीन आदेश की वैधानिकता को चुनौति नही दी गई है। बल्कि वाद की विषय वस्तु भू–स्वामित्व को लेकर है। अतः प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

39. हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके सलग्न दस्तावेजों तथा न्यायिक निर्णयों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके आधार पर यह प्रकट है कि :–

1. आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ कार्यालय उपायुक्त जोन–6, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा तहसील जोधपुर स्थित, ग्राम पूंजला के खसरा नम्बर 10 से 16, 17 का हिस्सा, 25 का हिस्सा, 26 से 30 क्षेत्र 32 बीघा 5 बिस्वा का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा देने के लिए स्व0 प्रेरणा से (आवेदक जमाबंदी में दर्ज खातेदार व अन्य) कार्यवाही करते हुए मामला

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

संख्या गार्ड पत्रावली और वर्ष 2023 में दिनांक 01.10.2023 को पारित किया गया है।

2. जो0वि0प्रा0 जोधपुर की बैठक कार्यवाही विवरण कमांकः 1491 दिनांक 25.09.2023 के एजेण्डा संख्या 4 के बिन्दु सं0 1 अनुसार उक्त कॉलोनी वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की होने तथा आवेदित भूमि पर मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित होना उल्लेखित है।

3. अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के ले–आउट प्लान अनुमोदन की शर्त संख्या 5 के अनुसार ''प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ–पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे'' उल्लेखित है।

4. वकील अपीलांट्स का अभिकथन है कि अपीलाधीन खसरान की भूमि अपीलार्थीगण की सह–खातेदारी की है तथा अपीलाधीन आदेश में वर्णित विवादग्रस्त ख0नं0 17, 18, 27 एवं 28 की भूमि के लिए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा वाद संख्या 53/2012 में दिनांक 20.03.2012 को आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगणों को पाबंद किया हुआ है, जो आज भी प्रभावी एवं विचाराधीन है। रेस्पो0 को इस बात की भलीभांति जानकारी रहते अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 गलत एवं कूट रचित दस्तावेजों के तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया हुआ होने से निरस्त योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही स्वतः ही अवैध एवं प्रभाव शून्य है।

5. जबकि रेस्पो0 अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि :–

5.1 वादग्रस्त भूमि को लेकर वादी रामा पुत्र चतुरा द्वारा उप जिलाधीश जोधपुर के समक्ष पूर्व प्रस्तुत वाद संख्या 167/1979 को जरिये राजीनामा दिनांक 06.11.1979 को डिक्री कर दिया गया। जिस डिक्री

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 06.11.1979 के अनुसार ग्राम पुंजला के ख0नं0 17, 18 एवं 27 की कुल 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी रामा तथा ख0सं0 28 की रकबा 2 बीधा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी काना पुत्र पुरखा के नाम घोषित की गई। जिसकी पालना में जरिये नामान्तरकरण दिनांक 16.05.1980 द्वारा ग्राम पुंजला के ख0नं0 18 रकबा 3.15 बीघा, ख0नं0 27 रकबा 3.07 बीघा एवं मूल ख0नं0 17 में से 4.02 बीघा भूमि का नया खसरा बनाकर खसरा नम्बर 17/2 की 4.02 बीघा भूमि सहित कुल रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा भूमि वादी रामा के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त डिक्री दिनांक 06.11.1979 के अपास्त हो जाने के उपरांत भी राजस्व रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल नही कर, जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 11.02.1991 के अनुसार विचाराधीन राजस्व वाद के निर्णय के बाद ही आवश्यकता होने पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश की पालना में उक्त अपास्त हुई डिक्री की पालना में खोले गये नामान्तरकरण की प्रविष्टियों को यथावत रखा गया। अर्थात पूर्व की स्थिति बहाल नही की गई। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्यों की पुश्टि हेतु ग्राम पूंजला के नामान्तरकरण दिनांक 16.05.1980 एवं जमाबंदी संवत् 2054–57 की प्रति प्रस्तुत की गई, जमाबंदी में उप जिलाधीश जोधपुर के आदेश दिनांक 11.02.1991 का नोट अंकित है एवं अपीलार्थीगण के नाम ख0नं0 18, 27 व 17/2 की कुल 11.04 बीघा भूमि दर्ज है। जो कुल रकबा भूमि 54.12 बीघा भूमि में से रामा के 1/8 वे हिस्से की कुल 6 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि से अधिक है। जिसमें से रामा एवं उनके वारिसान के द्वारा ख0नं0 18 रकबा 3.15 बीघा एवं ख0नं0 27 रकबा 3.07 बीघा कुल रकबा 7.02 बीघा भूमि पहले ही प्राप्त/अंतरण कर चुके है, जो उनके धारित हक हिस्से से अधिक है।

5.2 रामा पुत्र चतरा ने अपने नाम से जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 27 की रकबा 3.07 बीघा भूमि को अपने जीवनकाल में ही दिनांक 12.05.1995 को प्रभुराम वगैरा 17 व्यक्तियों को वसीयत कर दी गई। दिनांक 14.10.

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

1995 को वादी रामा पुत्र चतरा का देहान्त हो जाने के कारण उक्त वसीयत प्रभाव में आ जाने से उक्त खसरान में रामा पुत्र चतरा के हक अधिकार प्रभुराम वगैरा 17 व्यक्तियों में निहित हो गये। जिस कारण उक्त 17 व्यक्तियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस वाद में पक्षकार बने तथा ख0नं0 27 की 3.07 बीघा भूमि को अपने मालिकाना हक अधिकार की होना मानकर आगे से आगे बेचान/हस्तांतरण कर दिया है। इसकी पुश्टि हेतु ख0नं0 27 रकबा 3.07 बीघा भूमि बाबत रामाराम द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 12.05.1995 की प्रति एवं जमाबंदी संवत् 2054–57 की प्रति प्रस्तुत की गई, उक्त जमाबंदी में प्रभुराम वगैरा के नाम ख0नं0 27 रकबा 3.07 बीघा भूमि दर्ज है।

5.3 खसरा नम्बर 18 की भूमि को रामा के वारिसान (अपीलार्थीगण) भूखण्डों के रूप में बेचान/हस्तांरण कर रहे है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान की भूमि में रामा अथवा रामा के वारिसान का कोई हक– अधिकार नही है। इसकी पुष्टि में ख0नं0 18 रकबा 3.15 भूमि बाबत निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामे एवं पारित नामान्तरकरण की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

5.4 खसरा नम्बर 17 की 4.02 बीघा की जिस भूमि को अपीलांट्स विवादित बता रहे है, वह भूमि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 में शामिल नही है, क्योकिं जो0वि0प्रा0 द्वारा अपीलाधीन आदेश ख0नं0 17 की सम्पूर्ण भूमि के संबंध में नही किया जाकर, ख0नं0 17 की उक्त भूमि के लिए किया गया है, जिसमें रामा एवं उसके वारिसान का क्लेम नही है। अर्थात विवादित 4 बीघा भूमि इस आदेश में सम्मिलित नही है। उक्त 4 बीघा भूमि ख0नं0 18 के पश्चिम में स्थित है, जो अनुमोदित क्षेत्र से दूर है। इस कारण अपीलार्थीगण के हित अधिकार प्रभावित नही होने से उन्हें अपीलाधीन आदेश की वैद्यता को चुनौति प्रदान करने का हक नही है। इसकी जानकारी अपीलार्थी जो0वि0प्रा0 कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

5.5 विवादित शेष खसरा नम्बर 28 की रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी काना पुत्र पुरखा के नाम घोषित एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसकी पुष्टि हेतु न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में दर्ज राजस्व अपील संख्या 03/2011 अनवान रामाराम के वारिसान बनाम प्रभुराम व अन्य में अपीलांट जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ''प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन स्थगन आदेश'' में यह अभिकथन किए गये है कि ''अपीलार्थीगण द्वारा वाद, खसरा संख्या 17, 18, 27 व 28 के बाबत पेश किया गया था। जिसमें ख0सं0 27 की वसीयत अप्रार्थीगण प्रभुराम वगैरा के हक में की गई थी, जिस बाबत अपीलार्थीगण को कोई एतराज नही है एवं ख0सं0 18 के बाबत रेस्पो0 को कोई एतराज नही था। क्योकिं अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री द्वारा ख0सं0 18 अपीलार्थीगण को दिया गया था। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने कोई कार्यवाही नही की है। इसी प्रकार ख0सं0 28 के संबंध में भी अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 के मध्य कोई विवाद नही है, क्योंकि उक्त भूमि कानाराम को दी गई थी। अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 के मध्य विवाद सिर्फ ख0सं0 17 के संबंध में है एवं उसी अनुसरण में स्थगन आदेश में भी संशोधन किया जाना आवश्यक है।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा किए गये अभिकथनों/स्वीकारोक्त तथ्यों को, वह हस्तगत अपील में इन्कार नही कर सकता है।

5.6 इस प्रकार अपीलार्थीगण ख0नं0 17, 18 एवं 27 की भूमि को स्वयं तो अपने उपयोग व उपभोग में ले रहे है एवं प्रत्यर्थीगण की भूमि को विवादित/स्थगन बताकर उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। रूपातंरण की कार्यवाही स्वप्रेरणा से मौके का सर्वे एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही कर सम्पादित की गई, जो विधि अनुकूल है, जिस पर अपीलार्थीगण का कोई आक्षेप नही है। अपीलार्थी द्वारा सिर्फ रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 पारित होने के उपरांत, दिनांक 15.09.2025 को जो0वि0प्रा0 के समक्ष स्थगन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जबकि इसमें उसका हित प्रभावित नही है।

5.7 इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान की भूमि में रामा अथवा रामा के वारिसान का कोई हक–अधिकार नही होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। इसी प्रकार धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र के द्वारा अनुसमर्थित नही होने से खारिज योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण के परिणाम स्वरूप ग्राम पूंजला के विवादग्रस्त खसरा नम्बर 18, 27 एवं 28 की भूमि में अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज पूर्व प्रविष्टियों के आधार पर, इनके द्वारा किए गये बेचान/अंतरणों के दृष्टिगत उक्त अपील खारिज योग्य होने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ कार्यालय जो0वि0प्रा0 जोधपुर द्वारा स्व0 प्रेरणा से कार्यवाही करते हुए मामला संख्या गार्ड पत्रावली और वर्ष 2023 में पारित दिनांक 01.10.2023 यथावत रखा जाता है।

शेष विवादित खसरा नम्बर 17 की 4.02 बीघा, की जिस भूमि को अपीलार्थीगण विवादित बता रहे है, वह भूमि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2023 में शामिल नही है, जिसकी पुख्ता जानकारी अपीलार्थीगण जो0वि0प्रा0 जोधपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के ले–आउट प्लान अनुमोदन की शर्त संख्या 5 आदेश के साथ अस्तित्व में होने से आलौच्य प्रकरण में जो0वि0प्रा0 जोधपुर द्वारा की गई अपीलाधीन कार्यवाही अहस्तक्षेपनीय है।

7. निर्णय आज दिनांक 6-5-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

6/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर